There should be a vigorous propagation of literacy particularly female literacy.

There should be vigorous propaganda and education about the methods of family planning which include sterlisation, the use of I.U.D. (Intra - Uterine Device) condom, oral contraceptives abortion and other methods apart from the practice of theory of rhythm. Particularly the isse of condom should be free. The money spent on this will lead to a much larger saving.

There should be a scheme of incentives and disincentives. The age of marriage which is 18 years in our country should be strictly enforced and people encouraged to marry at older ages.

A vigorous propaganda to change the attitude of the people, particularly of "the son preference" should be adopted. On the World Population Day not only we but the entire world must unitedly face the challenge of population growth. The affluent West cannot remain away from their contribution to this gigantic task. If they fail in this important task, it would not be long before millions would migrate from developing countries to developed countries. Let us pledge ourselves, on this occasion of the World Population Day, to make this Green Earth an abode of peace and plenty for everyone of its citizens.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय भंडारे जी ने जो बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सचमुच में यह बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है क्योंकि जिस तरह से इसमें वृद्धि हो रही है उससे सन् 2000 तक आते-आते करीब एक अरब तक जनसंख्या हमारे देश में हो जाएगी फिर समस्या पैदा होगी खाने की, 225 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, फिर आवास की व्यवस्था की समस्या होगी, उसके साथ-साथ नौकरी की होगी। ये सारे मामले आते हैं। पर्यावरण की समस्या पैदा हो जाएगी इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे समय में, उपयुक्त समय पर जो वर्ल्ड पापुलेशन डे मनाया गया है उसके पीछे जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस बात को जनता के बीच में प्रचारित करें ताकि उसका लाभ मिल सके और इस चुनौती का सामना डटकर, जमकर देश कर सके।

Need to remove doubts regarding im-Implementation of certain aspects of Indo-Bangladesh accord on transfer of Teen Bigha Corridors to Bangladesh.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस गरिमामय सदन का ध्यान तीन बीघा के हस्तांतरण में हुई कई अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने मई 1990 को अपना फैसला देते हुए कहा था कि जनता को समझा बुझाकर उसकी इच्छा को समझकर तीन बीघा का हस्तांतरण करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता तीन बीघा के हस्तांतरण के संबंध में बहुत ही उद्विग्न थी। उसकी अनेक आपत्तियों में दो प्रमुख आपत्तियां थीं। 1982 को जो इंदिरा-इरशाद समझौता हुआ था उसके चौथे अनुच्छेद में है कि बंगलादेश के नागरिकों के साथ, बंगलादेश की पुलिस, अर्ध सैन्य बलों और सेना को अपनी तमाम सामग्री के साथ बंगलादेश से तीन बीघा होकर दहग्राम, आंग्रापोता जाने की छूट दी गयी है। बिना हमारी अनुमति के भी वे जा सकते थे। उसके नवम अनुच्छेद में यह बात भी स्वीकार कर ली गयी थी कि अगर बंगलादेश का कोई नागरिक तीन बीघा में कोई अपराध करता है तो

उसका मुकदमा भारत में न चलकर बंगलादेश में चलेगा । इन दोनों बातों पर पश्चिम बंगाल की जनता को और सारे भारत की जनता को गहरी आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि आंग्रापोता दहग्राम के चारों तरफ भारत को छोड़कर और कोई दूसरा देश नहीं है । अगर बंगलादेश अपनी फौज वहां ले जाता है, अपने टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन ले जाता है तो सिर्फ भारत के सिवाय और किसी के विरुद्ध उनका उपयोग नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि अगर हमारी संप्रभुता, सावरेनिटी तीन बीघा पर है तो बंगलादेश का नागरिक अगर वहां अपराध करता है तो उसका मुकदमा भारतवर्ष में चलना चाहिए ।

जब माननीय ज्योतिबसु ने यह देखा कि बंगलादेश की जनता इन दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ है, तीन बीघा के हस्तांतरण के खिलाफ है तो उन्होंने एक अद्भुत प्रचार शुरू किया । उन्होंने मेखलीगंज की सभा में, उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में बार बार यह प्रचार किया कि बंगलादेश सरकार ने यह मान लिया है कि हमारी अनुमति से वहां फौज ले जायेंगे । बंगलादेश सरकार ने मान लिया है कि अगर वहां बंगलादेश का कोई नागरिक अपराध करेगा तो उसका मुकदमा भारतवर्ष में चलेगा। ये दोनों बातें सत्य नहीं हैं । हम लोगों ने जब इस पर बहुत आपत्ति की तो उन्होंने 20 मई को सर्वदलीय समिति की बैठक राइटर्स बिल्डिंग में बुलाई जिसमें हमारे माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फेलेरियो भी उपस्थित थे । जब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परश दत्त ने माननीय ज्योति बसु का ध्यान भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित तीन बीघा संबंधी पुस्तक पर आकृष्ट किया और उनसे कहा कि आप ये दो बातें कह रहे हैं लेकिन ये दोनों शर्तें कहां लिखी गई हैं आप मुझे बताइये तो ये बगलें झांकने लगे और उनकी रक्षा में आकर माननीय एडुआर्डो फेलेरियो विदेश राज्य मंत्री जी ने कहा कि हां यह समझौता हुआ है लेकिन ये दोनों शर्तें जनता के हित में अलिखित हैं । मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि 999 वर्षों के लिए जो समझौता हुआ है उसमें यह शर्त तो लिखित है कि बंगलादेश अपनी फौज वहां बिना अनुमति के ले जा सकेगा । उसमें यह शर्त तो लिखित है कि बंगला देश का नागरिक अगर अपराध करेगा, तो उसका मुकदमा बंगला देश में चलेगा, लेकिन हमारे महामान्य विदेश मंत्री यह कहते हैं कि यह अलिखित शर्त स्वीकार कर ली गई है कि अगर वहां बंगलादेश के नागरिक अपराध करेंगे, तो उनका मुकदमा भारतवर्ष में चलेगा बंगला देश में नहीं ।

मैं मानता हूं कि ये दोनों बातें किसी भी दूसरे तथ्य से प्रमाणित नहीं होतीं— माननीया खालिदा जिया और माननीय प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव का जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है । इसलिए हम लोग यह बात मानने के लिए विवश हैं कि यह सारी की सारी बात जनता को धोखा देने के लिए की गई है, और मुझे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य है कि माननीय ज्योति बसु इतने जिम्मेदार व्यक्ति होकर इस प्रकार गैर-जिम्मेदारी का काम कैसे कर सकते हैं ।

बहुतों का यह कहना है कि पूरे के पूरे तीनबीघा प्रकरण में उनका कोई* रहा है । मैं इस बात को नहीं जानता लेकिन यह बात बार-बार कही गई है कि* मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त . . . **(व्यवधान)** तो ऐसी स्थिति में मुझे यह लगता है कि. . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I don't think you can bring in this type of things.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस स्थिति में एक राजनीतिक भ्रांति का प्रचार करके. . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This has to be shown to me. If any kind of allegations have been made against the Chief Minister of West Bengal^ the same have to be expunged.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : राजनीतिक भ्रांति का प्रचार करके वहां जनता को गुमराह किया गया है । . . . **(व्यवधान)**

*Expungedas ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have already given the direction that if any allegation against the Chief Minister are there, the same will not from part of the record.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : एक राजनीतिक भ्रांति का प्रचार करके जनता को गुमराह किया गया है और उसके बाद मुख्य मंत्री . . . **(व्यवधान)**

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): What I am trying to request the Member is that let him confine himself to the subject on which he is speaking The question whether *Mr. Jyoti Basu or anybody else has is not relevant. He cannot say that it has happened because of this. He must have some sense of proportion when he speaks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have instructed him before you raised it that such things should not be spoken. I have already instructed him. Please sit down. I will see the record. Any reference to Jyoti Basu will be expunged.

SHRI ASHIS SEN: I would like to know whether there is any agreement between the Govemment of India and the Government of Bangladesh.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : मैं तथ्य दे रहा हूं । . . . **(व्यवधान)** मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Minister will reply to him.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बात बता रहा हूं कि इस प्रकार एक गलतफहमी फैलाकर जो शर्तें भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच नहीं हुई थीं, उन गलत फहमियों को फैला कर और और वहां जबरदस्त अत्याचार करके 26 जून को तीनबीघा का हस्तांतरण हुआ ।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर बी.जे.पी. के आवाहन पर सारे भारतवर्ष के करीब बीस हजार सत्याग्राही आये थे । मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कि अगर भारत सरकार चाहती, तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी । लेकिन पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर घातक हमले किये . . . **(व्यवधान)** बिल्कुल किये, 18 जून, से 24 जून तक किये, हमारे डेढ़ सौ से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए । हमारे अध्यक्ष, माननीय मुरली मनोहर जोशी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वयं जाकर अस्पताल में देख कर के आए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार उन पर प्राणघातक हमले किये हैं, यह बहुत ही चिंता की बात है ।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो दिनों में हमारे पांच देशभक्त शहीद हुए, डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल हुए और करीब बीस हजार लोगों ने वहां पर कारावरण किया ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे का पूरा हस्तांतरण निहित स्वार्थ के लिए किया गया है । इस पर पुनर्विचार किया जाए । देश की मर्यादा के लिए इस पर फिर से विचार करना बहुत आवश्यक है ।

श्री सुकोमल सेन (पश्चिमी बंगाल) : यह बिलकुल गलत बात है । यह बिलकुल कुप्रचार है और कुछ नहीं है । . . . **(व्यवधान)** क्या वह नाम बता सकते हैं कि कौन जख्मी हुए ?

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : हां, हां, नाम बता सकते हैं । आपको लिस्ट दे सकते हैं ।

*Expunged as ordered by the Chair.